



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55655

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 9314 वर्ष 2026

प्रेम शंकर दुबे

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : कुबेर सिंह यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कुबेर सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री जनार्दन यादव और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम डॉ. एस.बी. मौर्य को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को थाना महाराजगंज, जिला आजमगढ़ में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 225 वर्ष 2025, धारा 80(2), 85 बी.एन.एस. और धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक मृतका का ससुर है और झूठे व सामान्य आरोपों के आधार पर उसे वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।
4. उन्होंने आगे तर्क दिया कि मृतका का ससुर होने के नाते आवेदक का मृतका के पारिवारिक मामलों से कोई सरोकार नहीं था और मृतका एक तुनकमिजाज महिला थी और इस कारण पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था और घटना के दिन फिर से दोनों के बीच ऐसा ही विवाद हुआ और इस बार उसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई तथा उसकी मृत्यु के बाद केवल ससुर होने के नाते आवेदक को भी अभियुक्त बना दिया गया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उन्होंने आगे बताया कि मृतका की विसरा रिपोर्ट भी यह संकेत देती है कि उसकी मृत्यु एल्युमीनियम फॉस्फाइड के सेवन के कारण हुई है।

5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक की आयु लगभग 70 वर्ष है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वर्तमान मामले में वह 05.12.2025 से यानी पिछले साढ़े तीन महीनों से जेल में है।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आवेदक मृतका का ससुर है और उसके विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, तथा मृतका की विसरा रिपोर्ट को देखते हुए इस स्तर पर मृतका द्वारा आत्महत्या किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है तथा साथ ही, आवेदक लगभग 70 वर्ष का है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह पिछले साढ़े तीन महीनों से जेल में है, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

9. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10. आवेदक- **प्रेम शंकर दुबे** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न मिल जाए।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को बताने से विमुख हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

11. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18 मार्च, 2026

शाहरोज़

(माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।